12.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पक्षकार हाजिर नहीं है और न ही उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विगत तिथि पर भी प्रार्थी न तो स्वॅय और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता इस मामले में उपस्थित आये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी की इस वाद की कार्यवाही को चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम प्रार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

जिला न्यायाधीश,
सहारनपुर।